सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार

(पत्र सूचना शाखा)

प्रेस विज्ञप्ति

- नगर पालिका परिषद गोण्डा की निर्वाचक नामावली के पुनरीक्षण हेतु समय सारणी जारी

लखनऊः दिनांकः 22 जुलाई, 2008

गोण्डा नगर पालिका परिषद की निर्वाचक नामावली के संक्षिप्त पुनरीक्षण हेतु राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री राजेन्द्र भौनवाल ने अधिसूचना जारी कर दी है। जारी अधिसूचना में निर्वाचक नामावली के आलेख्य का प्रकाशन 23 जुलाई, निरीक्षण एवं दावा आपत्ति दाखिल करने की अवधि 23 जुलाई से 29 जुलाई दावा/आपत्ति का निस्तारण 30 जुलाई से 12 अगस्त, पूरक सूची पाण्डुलिपि तैयार करने की अवधि 13 अगस्त से 17 अगस्त पूरक सूची का कम्प्यूटरीकरण 18 अगस्त से 26 अगस्त तथा निर्वाचक नामावली का जन सामान्य के लिए अन्तिम प्रकाशन 27 अगस्त 2008 को होना निर्धारित हुए है।

श्री राजेन्द्र भौनवाल ने बताया कि निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के विनिश्चय के विरूद्ध अपील जिला अधिकारी को इस प्रतिबन्ध के साथ ग्राहय होगी कि अपील करने के इच्छुक व्यक्ति ने इस मामले पर जो अपील की विषय वस्तु है, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा सुने जाने या उसका अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का लाभ उठाया है और यह अपील उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम (निर्वाचक नामावली का तैयार किया जाना और पुनरीक्षण) नियमावली–1994 के नियम 20(1)(2) के अधीन दायर की गयी।

- व्यावसायिक संस्थाओं में प्रबन्धन सीटों पर अधिक फीस लेने वालों के विरूद्ध कार्यवाही होगी
- दोषी पाये जाने पर प्रबन्धन कोटा को सीज करने तथा मान्यता निरस्त भी की जायेगी

लखनऊः दिनांकः 22 जुलाई, 2008

उत्तर प्रदेश के प्राविधिक शिक्षा प्रमुख सचिव, श्री आलोक रंजन ने समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारियों को निर्देशित किया है कि व्यावसायिक संस्थाओं द्वारा छात्रों से प्रवेश के समय मनमाने फीस की मॉग की जा रही है अतः संस्थाओं में व्याप्त अनियमितता तथा मनमानी फीस की वसूली की रोकथाम हेतु प्रभावी कार्यवाही करें तथा कृत कार्यवाही की सूचना शासन को भी उपलब्ध करायी जाये।

इस सम्बन्ध में प्रमुख सचिव, प्राविधिक शिक्षा की तरफ से जारी परिपत्र में अपेक्षा की गयी है कि मण्डलों के जनपदों में स्थापित निजी क्षेत्र की अभियन्त्रण/व्यावसायिक संस्थाओं में मैनेजमेन्ट कोटे की सीटों के विरूद्ध प्रवेश में अनियमितता तथा कैपीटेशन फीस आदि लिये जाने की शिकायतें प्राप्त होने पर रिपोर्ट सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा मण्डलायुक्त या शासन के प्राविधिक शिक्षा विभाग को सीधे प्रेषित की जाये। शासन के संज्ञान में संस्थाओं के सम्बन्ध में किसी प्रकार की शिकायतें प्राप्त होने पर अथवा आवश्यक

समझे जाने पर गठित समितियों से जॉच करायी जायेगी। जॉच आख्याओं के आधार पर दोषी संस्थाओं के विरूद्ध मैनेजमेन्ट कोटा सीट एवं सम्बद्धीकरण निरस्त करने सम्बन्धी कार्यवाही की जायेगी।

प्रमुख सचिव ने बताया कि अधिक फीस से सम्बन्धित शिकायत सीधे उनके फोन नं0–0522–2238085, विशेष सचिव, 0522–2238093, संयुक्त सचिव, मो0नं0–9415056611 एवं अनुसचिव मो0नं0–9452292978 पर की जा सकती है।

- भूमि विकास एवं जल संसाधन विभाग के सभी कार्यालयों में कम्प्यूटर व इन्टरनेट की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय

लखनऊः दिनांकः 22 जुलाई, 2008

प्रमुख सचिव, भूमि विकास एवं जल संसाधन विभाग श्री योगेश कुमार ने अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि आन–लाइन मानीटरिंग हेतु सभी कार्यालयों में आगामी 31 जुलाई, 2008 तक कम्प्यूटराइजेशन एवं इन्टरनेट कनेक्शन की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय।

श्री कुमार आज यहॉ बापू भवन स्थिति सभागार में चालू वित्तीय वर्ष में विभागीय योजनाओं की मण्डलवार एवं इकाईवार वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन में सम्बन्धित अधिकारियों को कड़े निर्देश दिये कि जहॉ–जहॉ कार्य चल रहा है वहॉ की गॉव पंचायत के श्रमिकों को ही कार्य में लगाया जाय। इसी के साथ निर्धारित मजदूरी 100 रूपये प्रतिदिन के हिसाब से कृषकों व मजदूरों को भुगतान किया जाय तथा भुगतान चेक के द्वारा किया जाय।

विभागीय प्रमुख सचिव ने वाटर शेड डेवलपमेन्ट हेतु न्यू कामन गांइड लाइन 2008 की चर्चा करते हुए सभी मण्डलीय उपनिदेशको को निर्देशित किया कि जिन जनपदों में इस कार्य हेतु 25000 हेक्टेयर क्षेत्र उपलब्ध है, यहॉ तत्काल मुख्य विकास अधिकारियों से विचार–विमर्श करके परियोजना बनाई जाय। इस कार्य में यदि कहीं रूकावट आ रही है तो सम्बन्धित जिलाधिकारी जो कि जिला वाटर शेड यूनिट का अध्यक्ष होता है उससे मार्गदर्शन प्राप्त की जाय। उन्होंने कहा कि कराये गये इस कार्य को सूचना आगामी 31 जुलाई 2008 तक शासन को उपलब्ध करायी जाय।

आई0डब्ल्यू0डी0पी0 योजना की समीक्षा के दौरान उन्होंने कहा कि जिन जनपदों ने प्रस्ताव अभी तक भारत सरकार को नहीं भेजे हैं वे हर स्थिति में आगामी 31 जुलाई 2008 तक उनका मूल्यांकन कराकर वित्तीय सहायता हेतु भारत सरकार को भेज दें।

शारदा सहायक समादेश क्षेत्र विकास एवं जल प्रबन्धन योजना के तहत आई0डब्ल्यु0 डी0पी0 कार्यक्रम में वाराणसी मण्डल में गत वर्ष की बची धनराशि पर सूचना मांगने पर सख्त नाराजगी जाहिर करते हुए दोषी अधिकारी के विरूद्ध प्रतिकूल प्रविष्टि के निर्देश प्रशासक श्री योगेन्द्र कुमार बहल को दिये।

बैठक में विशेष सचिव, डा0 हरिओम सहित सभी मण्डलों के उपनिदेशक व भूमि संरक्षण अधिकारी उपस्थित थे।

- कानपुर मण्डल के अन्तर्गत वृक्षों के अवैध कटान की सूचना जनपद के अधिकारियों को दी जाये

लखनऊः दिनांकः 22 जुलाई, 2008

मुख्य वन संरक्षण कानपुर मण्डल कानपुर ने कहा है कि कानपुर मण्डल के अन्तर्गत किसी प्रकार के वृक्षों का अवैध कटान, वन्य जीवों का अवैध शिकार, वन सम्पदा का अवैध खनन, अवैध अश्रिवहन, बन भूमि पर अवैध कब्जें एवं वन सम्पदा सम्बन्धी अन्य गतिविधियों की जानकारी यदि किसी व्यक्ति को मिले तो उसकी सूचना तत्काल कानपुर जनपद में तैनात अधिकारियों को निम्नानुसार फोन नम्बरों पर उपलब्ध करायी जा सकती है।

मुख्य वन संरक्षक कानपुर मण्डल ने आम जनता से विशेष रूप से अपील की है कि वृक्ष वनस्पति/वन क्षेत्र तथा वन्य जीवों की सुरक्षा मानव के अस्तित्व व पर्यावरण एवं संरक्षण संतुलन के लिए अपरिहार्य है। अतः उक्त सूचना प्राप्त होने पर उपलब्ध करायी जाये। ताकि कार्यवाही सम्बन्धितों के विरूद्ध की जा सके।

- कोर्ट में लम्बित विभागीय मुकदमों की प्रभावी पैरवी करने के सख्त निर्देश
- खनिज विभाग की मासिक समीक्षा बैठक सम्पन्न

लखनऊः दिनांकः 22 जुलाई, 2008

प्रमुख सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म श्री एम0वी0एस0 रामीरेड्डी ने न्यायालयों में लम्बित विभागीय मुकदमों पर अपनी गहरी चिन्ता जताते हुए सम्बन्धित अधिकारियों को इन मुकदमों की प्रभावी पैरवी करने तथा जहॉ आवश्यक हो वहॉ प्रतिशपथ पत्र दाखिल करने के सख्त निर्देश दिये हैं। न्यायालयों में लम्बित विभागीय मुकदमों के प्रति उत्तर प्रदेश शासन की संवेदनशीलता को उजागर करते हुए उन्होंने कहा कि इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की कोताही क्षम्य नहीं होगी। सम्बन्धित अधिकारियों को एक सप्ताह का समय देते हुए उन्होंने कहा कि इस कार्य की प्रगति समीक्षा वह स्वयं आगामी 31 जुलाई को करेंगे।

श्री रामीरेड्डी आज यहॉ खनिज निदेशालय में प्रदेश भर के विभागीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशक श्री राम बोध मौर्य के अतिरिक्त मुख्यालयीय मण्डलीय तथा जनपद स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।

खनिज राजस्व की समीक्षा के दौरान उन्होंने कम वसूली वाले जिलों के अधिकरियों को राजस्व वसूली में निर्धारित मानकों के अनुरूप सुधार लाने के निर्देश दिये ताकि मासिक तथा वार्षिक लक्ष्यों की शत–प्रतिशत प्राप्ति सुनिश्चित की जा सके।

बैठक को सम्बोधित करते हुए निदेशक श्री रामबोध मौर्य ने सचिव को आश्वस्त किया कि उनके दिशा निर्देशों के अनुरूप लम्बित मुकदमों की प्रभावी पैरवी तथा लक्ष्यों की शत प्रतिशत पूर्ति हर हाल में सुनिश्चित की जायेगी।

- बीजों की व्यवस्था एवं उत्पादन कार्यक्रम मिशन मोड की बैठक सम्पन्न

लखनऊः दिनांकः 22 जुलाई, 2008

गुणवत्तायुक्त बीजों के प्रतिस्थापन पर ही कृषि उपज निर्भर हैं। स्वपरगति फसलों धान, गेंहू, समस्त दलहनी फसलें एवं राई सरसों तथा सूरजमुखी को छोड़कर समस्त तिलहनी फसलों का बीज प्रत्येक 4 वर्ष में प्रतिस्थापित होता है तथा पर परागित फसलों ज्वार, बाजरा, मक्का, सूरजमुखी, आरण्डी एवं राई/सरसों की फसलों में बीज प्रति 3 वर्ष में प्रतिस्थापित होता है। बीजों के प्रतिस्थापन दर के अनुसार ही प्रदेश की आवश्यकता अनुसार बीज प्रतिस्थापन दर का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

प्रदेश के प्रमुख सचिव, कृषि श्री कपिल देव ने यह जानकारी आज यहॉ कृषि निदेशालय में 11वीं पंचवर्षीय योजनान्तर्गत प्रदेश में बीजों की व्यवस्था एवं उत्पादन

कार्यक्रम मिशन मोड को संचालित किये जाने हेतु आयोजित बैठक में दी। उन्होंने कहा कि योजना के अन्त तक खाद्य एवं सुरक्षा मिशन संचालित किये जाने के फलस्वरूप निर्धारित 29.14 प्रतिशत बीज प्रतिस्थापन दर को बढ़ाकर 32.77 प्रतिशत प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसके अनुसार वर्ष 2011—12 तक खरीफ में 93.07 लाख हेक्टयर क्षेत्र के आच्छादन हेतु कुल 9.75 लाख कुन्तल तथा रवी में 120.85 लाख हेक्टयर क्षेत्राच्छादन हेतु कुल 35.21 लाख कुन्तल कुल वार्षिक 44.96 लाख कुन्तल विभिन्न फसलों के प्रमाणित बीजों तथा 2.06 लाख कुन्तल आधारीय एवं 11773 कुन्तल प्रजनन बीजों की आवश्यकता होगी।

प्रमुख सचिव ने बताया कि प्रदेश के किसानों को खरीफ और रबी में उपलब्ध कराये जाने वाले प्रमाणित एवं गुणात्मक बीज की आपूर्ति का प्रतिशत क्रमशः 80:20 एवं 65:35 है। उन्होंने बताया कि आगामी 10 वर्षो में प्रदेश में प्रमाणित/आधारीय/प्रजनक बीजों की आवश्यकतानुसार उत्पादन हेतु कार्यक्रम को मिशन मोड में संचालित कर बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए रणनीति तैयार की जायेगी।

श्री कपिल देव ने कहा कि प्रदेश के विभिन्न एग्रोक्लाइमेटिक जोनो एवं कृषकों की मॉग के अनुसार विभिन्न फसलों की प्रजातियों के अनुसंधान तथा न्यूक्लियस/प्रजनक बीजों की आवश्यकता के अनुसार उत्पादन सुनिश्चित करने हेतु विचार किया जायेगा। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम में कृषि विभाग, उ0प्र0 बीज विकास निगम, सहकारिता, एन0एस0सी0एस0ए0एफ0सी0आई0 के साथ—साथ प्राईवेट बीज उत्पादक एजेन्सियों एवं कृषि विश्वविद्यालयों तथा उससे सम्बद्ध संस्थानों एवं कृषि विज्ञापन पर बीज उत्पादन कार्यक्रम लेकर बीज उत्पादन एवं वितरण में उनकी सहभागिता प्रस्तावित है।

बैठक में कृषि निदेशक श्री राजित राम वर्मा, अपर कृषि निदेशक श्री बलराम बली एवं समस्त परियोजना अधिकारी उपस्थित थे।

• सिचाई विभाग के 5 नवप्रोन्नत मुख्य अभियन्ता स्तर—1 की नई तैनाती के आदेश जारी

लखनऊः दिनांकः 22 जुलाई, 2008

प्रदेश के सिचाई विभाग के 5 नवप्रोन्नत मुख्य अभियन्ता स्तर—1 की तैनाती के आदेश जारी हुए है।

उत्तर प्रदेश शासन सिचाई विभाग द्वारा आज जारी आदेश के अनुसार नवप्रोन्नत मुख्य अभियन्ता स्तर—1 श्री विनोद कुमार बंसल को मुख्य अभियन्ता (नियोजन) कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लखनऊ के पद पर तैनात किया गया है। इसी प्रकार श्री प्रेम कुमार सिंह को मुख्य अभियन्ता(परियोजना) श्री कृष्ण कुमार को कार्यालय प्रमुख अभियन्ता सिचाई विभाग, लखनऊ श्री राम अवध को मुख्य अभियन्ता (पश्चिमी) कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लखनऊ, श्री हरनन्दन शर्मा, मुख्य अभियन्ता (पश्चिमी) से मुख्य अभियन्ता (स्नैराडैक) लखनऊ प्रतिनियुक्ति पर तथा श्री हरिशंकर शर्मा नव प्रोन्नत मुख्य अभियन्ता स्तर—1 को कार्यालय प्रमुख अभियन्ता सिचाई विभाग लखनऊ के पद पर तैनात किया गया है।

• उत्तर प्रदेश में 6596 मेगावाट विद्युत की आपूर्ति

लखनऊः दिनांकः 22 जुलाई, 2008

उत्तर प्रदेश में आज विद्युत की प्रतिबंधित मांग 7196 मेगावाट के सापेक्ष 6596 मेगावाट विद्युत की आपूर्ति की जा रही है तथा दिन के समय 600 मेगावाट विद्युत की आपात कटौती की जा रही है।

राज्य विद्युत उत्पादन निगम द्वारा दिन में 2:00 बजे 2154 मेगावाट तापीय विद्युत, जल विद्युत केन्द्रों द्वारा 701 मेगावाट, को–जनरेशन द्वारा 50 मेगावाट विद्युत का उत्पादन हो रहा था। इसके अलावा केन्द्रीय पूल से 3691 मेगावाट विद्युत का आयात किया जा रहा था।

आज ओबरा में 413 मेगावाट, अनपरा में 1302 मेगावाट, पनकी में 77 मेगावाट, हरदुआगंज में 139 मेगावाट तथा पारीछा में 223 मेगावाट विद्युत का उत्पादन हो रहा था।

• आज 32 निविदाएं अपलोड हुयी

लखनऊः दिनांकः 22 जुलाई, 2008

सूचना विभाग की वेबसाइट पर आज कुल 32 निविदाएं अपलोड की गईं जिनमें पशुधन विभाग–सीतापुर राजस्व परिषद–लखनऊ, संस्कृति विभाग–लखनऊ, वन विभाग–कानपुर वन विभाग–लखीमपुरखीरी, ड़द्यान विभाग–लखनऊ, सिंचाई विभाग फतेहपुर, हरदोई कानपुर, लखनऊ मिर्जापुर शाहजहॉपुर, कारागार–कानपुर देहात, पी0ए0सी0–लखनऊ, पशु अस्पताल–लखीमपुरखीरी, पुलिस उपमहानिरीक्षक–लखनऊ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक–सहारनपुर, पी0डब्लू0डी0–इलाहाबाद, बरेली, चन्दौली, देवरिया, हमीरपुर लखनऊ, मैनपुरी, पीलीभीत, उ0प्र0 कोआपरेटिव संस्थागत सेवामण्डल वोकेशनल एण्ड टेक्निकल एजूकेशन विभाग–कानपुर की निविदाएं सम्मिलित है।

• जनपदों में एक से 30 अगस्त के बीच वृहद कैम्प लगेंगे
• ग्राम्य विकास विभाग की योजनाओं की जानकारी दी जायेगी

–दद्दू प्रसाद

लखनऊः दिनांकः 22 जुलाई, 2008

राज्य में गावों का अधिक से अधिक विकास हो, इस उद्देश्य प्रदेश के समस्त जिलाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे ग्राम्य विकास विभाग की योजनाओं के तहत चयनित लाभार्थियों को स्वीकृत पत्र निर्गत करने के लिए एक अगस्त से 30 अगस्त के मध्य सभी जनपदों में वृहद् कैम्प आयोजित करें। इन्हीं कैम्पों में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना के जॉब कार्ड भी बनाये जायें तथा विभिन्न विकास योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी जायें।

यह जानकारी देते हुए प्रदेश के ग्राम्य विकास मंत्री श्री दद्दू प्रसाद ने बताया कि जिन जनपदों में लाभार्थियों का चयन नही हो पाया है वे अनिवार्य रूप से 31 जुलाई तक युद्ध स्तर पर इस कार्य को पूर्ण करें। उन्होंने सभी जिला अधिकारियों एवं मुख्य विकास अधिकारियों से कैम्प की तिथि निर्धारित कर 25 जुलाई तक ग्राम्य विकास विभाग के प्रमुख सचिव श्री रोहित नन्दन को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। उन्होंने मुख्य रूप से इन कैम्पों में स्वर्ण जयन्ती स्वरोजगार योजना, इन्दिरा/महामाया आवास योजना पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया है। इस अवसर पर प्रदर्शनी लगाने की भी अपेक्षा की गयी है।

• राज्य संग्रहालय में हुआ अमेरिकी विद्वान डॉ0 रैण्डल विलियम लॉ का व्याख्यान

लखनऊः दिनांकः 21 जुलाई, 2008

राज्य संग्रहालय में आज दिनांक विसकासिन विश्वविद्यालय, मेडिसिन संयुक्त राज्य अमेरिका के विद्वान डॉ0 रैण्डल विलियम लॉ का आर्कियोमैट्रिक स्टडीज ऑफ हड्प्पन रॉक एण्ड मिनरल विषय पर सारगर्भित व्याख्यान हुआ।

इस मौके पर नगर के अनेक गणमान्य नागरिक एवं विद्वान उपस्थित थे।

• पर्यटन विकास में निजी क्षेत्र के साथ–साथ सरकारी विभागों के साथ डव–टेलिंग की जाएगी

–विनोद सिंह

• अंतर्राष्ट्रीय स्तर की अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु 17 करोड़ की व्यवस्था

लखनऊः दिनांकः 21 जुलाई, 2008

उत्तर प्रदेश को पर्यटन की दौड़ में अन्य राज्यों से आगे निकालने हेतु अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की अवस्थापना सुविधाएं विकसित करनी होगी। सीमित संसाधनों के कारण निजी क्षेत्र को बड़े पैमाने पर पर्यटन के विकास से सम्बद्ध कर पब्लिक–प्राइवेट पार्टनशिप के रचनात्मक माडल्स के आधार पर ही इन सुविधाओं का विकास सम्भव हो सकेगा। वर्तमान सरकार आने वाले दिनों में इस दिशा में प्रभावी कदम उठाएगी जिससे प्रदेश में अधिकाधिक अवस्थापना सुविधाओं का विकास और पूंजी निवेश हो सके।

प्रदेश के पर्यटन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री विनोद सिंह ने यह जानकारी देते हुए बताया कि वर्तमान सरकार प्रदेश में पर्यटन विकास में निजी क्षेत्र के साथ सरकारी क्षेत्र के अन्य विभागों जैसे संस्कृति, लोक निर्माण, वन, आवास, नगर विकास तथा सिंचाई विभाग के साथ डव–टेलिंग करके संसाधनों के विकास पर बल दे रही है। इसी परिप्रेक्ष्य में आगरा को एक अंतर्राष्ट्रीय शहर के रूप में विकसित करने के प्रयास किए जा रहे हैं जिसमें नगर विकास, आवास, उद्यान तथा वन विभाग का सहयोग लिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार पब्लिक प्राइवेट भागीदारी के साथ सरकारी विभागों के पारस्परिक सहयोग से अवस्थापना सुविधाओं एवं संसाधनों में गुणात्मक एवं सकारात्मक वृद्धि तो होगी ही साथ ही प्रदेश के विभिन्न विभाग संयुक्त रूप से एक दिशा में काम कर सकेंगे।

श्री सिंह ने बताया कि प्रदेश में पर्यटक स्थलों को राज्य योजना से विकसित करने हेतु पर्यटन विभाग सतत् प्रयत्नशील है तथा वित्तीय वर्ष 2008–09 में इस प्रयोजन के लिए 17 करोड़ रूपये का बजट प्राविधानित है। उन्होंने बताया कि इसी श्रृंखला में लखनऊ हाट की महत्वाकांक्षी योजना के लिए वर्तमान वित्तीय वर्ष में तीन करोड़ रूपये का प्राविधान किया गया है।

• सीतापुर में सरायन नदी पर नवनिर्मित पुल पर 14 जुलाई से पथकर उदग्रहणीय

लखनऊः दिनांकः 21 जुलाई, 2008

उत्तर प्रदेश सरकार ने भारतीय पथकर अनिधिनियम, 1851 की धारा–2 के अधीन सीतापुर जिले में मछरेहटा जलालपुर मार्ग के कि0मी0 15 पर सरायन नदी पर नवनिर्मित सेतु पर अधिसूचना सं0–1064/23–2–2004–92–89, दिनांक 31 मार्च, 2004 के पैरा–एक के उपबंधों के अनुसार अधिकथित दरों और निबंधन तथा शर्तों पर पथकर वसूलने के निर्देश जारी कर दिए है।

प्रदेश के सचिव लोक निर्माण विभाग श्री गजेन्द्र पाल द्वारा इस आशय की जानकारी दी गई है।

• शैलेश कृष्ण पिछड़ा वर्ग वित एवं विकास निगम लि0 के पदेन अध्यक्ष नियुक्त

लखनऊः दिनांकः 21 जुलाई, 2008

प्रदेश सरकार द्वारा श्री शैलेश कृष्ण प्रमुख सचिव, पिछड़ा वर्ग कल्याण को उ0प्र0 पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम के निदेशक मण्डल में पदेन अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।

यह जानकारी श्री नवल किशोर विशेष सचिव ने दी हैं।